UPBJ010006192021

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(लोकेश नागर), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–यूपी1764

विशेष सत्र वाद संख्या–128/2021

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

बनाम

रामलाल उर्फ रामपाल सिंह पुत्र टीकवा सिंह, आयु करीब 62 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल, थाना मण्डावर, जिला बिजनौर। ..... अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–417/2017

धारा–138बी विद्युत अधिनियम

थाना–मंडावर, जिला बिजनौर।

निर्णय

1– अभियुक्त **रामलाल उर्फ रामपाल सिंह** के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–417/2017, धारा–138बी विद्युत अधिनियम, थाना–मंडावर, जिला बिजनौर के अन्तर्गत आरोप प्रत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त रामलाल उर्फ रामपाल सिंह का विचारण धारा 138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 20–11–2017 को समय 11:05 बजे लगभग, बहद स्थान ग्राम रायपुर बैरीसाल, थाना मंडावर, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत पूर्व में बकाया देय पर काटे गये विद्युत कनेक्शन की चैकिंग करने पर पाया गया कि विद्युत कनेक्शन संख्या–234/0822/063998 जो पूर्व में बकाया धनराशि 35,018/–रुपये के लिये दिनांक 05–10–2017 को अस्थायी रुप से विच्छेदित कर दिया गया था। दौरान चैकिंग अभियुक्त बिना बकाया जमा करे एल0टी0 लाईन से केबिल जोड़कर विद्युत चोरी करके अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये पाया गया। तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया जिसकी रोजनामचा में प्रविष्टि अंकित की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्त रामलाल उर्फ रामपाल सिंह के विरुद्ध धारा–138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–5 प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा–138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

4– उक्त आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–1 नरेश कुमार को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आदेश पत्रक पर टिप्पणी अंकित की गयी कि कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना है।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है।

5– अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और जुर्म स्वीकार किया है।

6– सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्र चैकिंग रिपोर्ट, तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–1 ता 5 को साबित करते हुये कहा कि अभियोजन प्रपत्रों तथा साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा–138बी विद्युत अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

8– अभियुक्त की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी उपरोक्त वाद को लड़ना नहीं चाहता है। प्रार्थी अपने जुर्म का इकबाल करता है और वाद समाप्त कराना चाहता है। धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त ने आरोप के कथनों को स्वीकार किया है और कहा है कि उसने अपराध कारित किया है। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार करता है। जुर्म स्वीकार का अर्थ वह समझता है। जुर्म स्वीकार करने से सजा भी हो सकती है। साक्षी के साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा–138बी विद्युत अधिनियम का आरोप साबित होता है।

9– उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध धारा–138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रामलाल उर्फ रामपाल सिंह धारा–138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **रामलाल उर्फ रामपाल सिंह** को **धारा–138बी विद्युत अधिनियम** के अन्तर्गत आरोपित आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–14–08–2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

दिनांकः–14–08–2026

1– पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– सजा के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त मजदूरी पेशा गरीब व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति उसके अलावा घर पर काम करने वाला नही है। उसके परिवार के लोग उस पर आश्रित हैं, यह अभियुक्त का पहला अपराध है। अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है। उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

3– दण्ड के बिन्दु पर अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4– जहां तक दण्ड का प्रश्न है विद्युत बिल जमा होना बताया गया है। अभियुक्त की आयु, तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त रामलाल उर्फ रामपाल सिंह को धारा–138बी विद्युत अधिनियम के आरोपित आरोप में 2,000/–रुपये (दो हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अभियुक्त **रामलाल उर्फ रामपाल सिंह** को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 128/2021, मुकदमा अपराध संख्या–417/2017, **धारा–138बी विद्युत अधिनियम,** थाना मंडावर, जनपद बिजनौर के आरोप में **2,000/– (दो हजार) रुपये** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

प्रश्नगत मामले में यदि कोई माल मुकदमाती है तो माल मुकदमाती मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाये, जिसे राज्य सरकार विधिनुसार निस्तारित करे।

प्रश्नगत मामले में संबंधित विभाग का यदि कोई शेष विद्युत देय/बकाया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार देय/बकाया धनराशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

दिनांकः–14–08–2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

उक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–14–08–2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.08.14 15:55:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court